**(2022)7 एस सी आर 1048**

**एजी पेरारीवलन –**
**बनाम**
**राज्य, द्वारा पुलिस अधीक्षक सीबीआई/एसआईटी/एमएमडीए, चेन्नई**
**आपराधिक अपील संख्या 833–834, 2022**
**: 18–मई, 2022**

**एल. नागेश्वर राव, बीआर गवई, एएस बोपन्ना, जे.जे.**

भारत का संविधान – अनुच्छेद 161 – कुछ मामलों में राज्यपाल की सजा कम करने, इत्यादि एवं निलम्बन, परिहार या लघुकरण की शक्ति– अपीलार्थी, भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी के हत्या के अभियुक्त में से एक – दोषसिद्ध एवं मृत्युदंड की सजा– मृत्युदंड की सजा को आजीवन करावास में लघुकरण किया गया– अपीलार्थी की सजा के परिहार करने के राज्य मंत्रीमंडल के अनुसंशा पर कोई निर्णय लिये बगैर राज्यपाल द्वारा अपीलार्थी की सजा के परिहार को दिनांक 25.01.2021 को भारत के राष्ट्रपति को संदर्भित किया गया– अभिनिर्धारित: सजा के निलंबन/ परिहार से संबंधित मामलों में राज्य मंत्री मंडल का परामर्श राज्यपाल पर अनुच्छेद 161 के अंतर्गत बाद्धयकारी है– अनुच्छेद 161 की शक्ति का प्रयोग नहीं करना या ऐसी शक्ति के विलंब से प्रयोग किये जाने के कारण स्पष्ट नहीं करना न्यायिक पुनरविलोकन के अंतर्गत है, विशेषतः जब राज्य मंत्रिमंडल ने कैदी के रिहाई के संबंध में निर्णय लिया और राज्यपाल को अनुसंशा हेतु प्रेषित किया– राज्य मंत्रिमंडल की अनुसंशा को राज्यपाल द्वारा भारत के राष्ट्रपति को संदर्भित किये जाने के संबंध में संविधान के किसी प्रावधान पर ध्यान आकर्षित नहीं किया और न ही राज्यपाल की ऐसी शक्ति का कोई स्त्रोत ही बताया गया– इस वर्तमान मामले में, राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडल के अनुसंशा को भारत के राष्ट्रपति को नहीं भेजा जाना चाहिए था– ऐसा कार्य संवैधानिक योजना के विपरीत है– राज्य मंत्रिमंडल की अनुसंशा बिना किसी निर्णय के राज्यपाल के समक्ष लगभग ढाई वर्ष तक लंबित रही– केवल तब जब इस न्यायालय द्वारा निर्णय में विलंब के कारण की जांच की गई, तब राज्यपाल ने अपीलार्थी की सजा के परिहार की राज्य सरकार की अनुसंशा को भारत के राष्ट्रपति को संदर्भित कर दिया– आगे यह भी है कि अपीलार्थी 32 वर्षो से कारावास में है, जेल में उसके आचरण के संबंध में काई शिकायत नहीं है, उसके चिकित्सा अभिलेख से पुरानी बिमारी से पीडिता है, कारावास के दौरान उसके द्वारा शैक्षणिक योग्यता अर्जित की गई और यह देखते हुए कि अनुच्छेद 161 के तहत उनकी याचिका राज्य मंत्री मंडल की अनुसंशा के बाद ढाई साल तक लंबित रही, इस मामले को राज्यपाल के विचार के लिए वापस भेजना उचित नहीं है – संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, अपीलकर्ता को सजा

काट ली गई मानी जाती है – अपीलार्थी, जो जमानत पर है, उसे तत्काल स्वतंत्र किया जाता है । दंड संहिता 1860– आयुद्ध अधिनियम, 1951– विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908– पास्पोर्ट अधिनियम, 1967– विदेशी अधिनियम, 1946– वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933– आतंकवाद एवं विद्वन्संक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1987 ।

**न्यायालय द्वारा, अपीले निराकृत की गई**

**अभिनिर्धारित : 1.1 अनुच्छेद 161 के तहत दंडादेशों के लघुकरण/परिहार संबंधी मामलों में राज्य मंत्री परिषद की सलाह राज्यपाल पर बाध्यकारी है। राज्य मंत्री परिषद द्वारा की गयी सिफारिश को भारत के राष्ट्रपति को अग्रेषित किये जाने संबंधी कोई संवैधानिक प्रावधान हमारे समक्ष चिन्हांकित नहीं किया गया ना ही इस संबंध में राज्यपाल को शक्ति निहित होने बाबत कोई संतुष्टिजनक उत्तर ही हमे प्राप्त हुआ । विद्यमान मामले में राज्यपाल को राज्य मंत्री परिषद की सिफारिश को भारत के राष्ट्रपति के पास अग्रेषित नहीं किया जाना था । ऐसे कार्य उपरोक्त वर्णित अनुसार संवैधानिक ढांचे के विपरीत है । यहां यह इंगित किया जाना प्रासंगिक है कि राज्य मंत्री परिषद द्वारा दिनांक 09.09.2018 को की गयी सिफारिश राज्यपाल के समक्ष करीब ढाई वर्षों तक बिना निर्णय के लंबित रही । इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के दंडादेश बाबत राज्य सरकार द्वारा की गयी सिफारिश संबंधी निर्णय में विलंब के कारण बाबत पूछे जाने पर राज्यपाल द्वारा उक्त सिफारिश भारत के राष्ट्रपति को अग्रेषित की गयी ।(पैरा 19)**

**1.2 यह न्यायालय संविधान द्वारा राज्यपाल को उसके पदेन शक्तियों का उपयोग तथा कर्तव्य के निष्पादन तथा उक्तानुक्रम में किया गया कोई कार्य अथवा उक्ताशय से किये जाने वाले कार्य के संबंध में प्रदत्त संवैधानिक संरक्षण के संबंध में पूर्णतः भिज्ञ है । तथापि इस न्यायालय द्वारा अनेक निर्णयों में अभिनिर्धारित है कि अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के आदेश के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति इस न्यायालय को प्राप्त है जो कि किन्हीं परिस्थितियों में ही रद्द की जा सकती है.इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित अनुसार अनुच्छेद 161 के तहत शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाना न्यायिक पुनर्विलोकन से परे नहीं है । जब राज्य मंत्री परिषद द्वारा किसी बंदी को परिहार/लघुकरण का लाभ दिया जाकर उसे स्वतंत्र किये जाने का निर्णय लिया गया हो, तब ऐसी परिस्थिति में अनुच्छेद 161 संबंधी याचिकाओं के संबंध में अयुक्तियुक्त विलंब, जिसके लिए बंदी जिम्मेदार ना हो, अक्षम्य है क्योंकि उक्त याचिकाएं व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित होती है (पैरा 20)।**

**1.3 गिरफ्तारी के समय अपीलार्थी 19 वर्ष की आयु का था तथा 32 वर्ष तक अभिरक्षा में निरूद्ध रहा, जिसमे से 16 वर्ष मृत्युदंड उपरांत तथा 29 वर्ष एकांत परिरोध अंतर्गत व्यतीत हुए । जेल मे उसके आचरण संबंधी कोई शिकायत नहीं रही ।**

अपीलार्थी को दो मौको पर पैरोल पर छोड़ा गया तब भी उसके आचरण के विरूद्ध या रिहाई की शर्तो के उल्लंघन संबंधी कोई शिकायत नहीं रही । अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये चिकित्सा अभिलेख उसे लंबे समय से बीमारियों से पीडित होना दर्शाते है । जेल में अच्छे आचरण सहित अपीलार्थी ने स्वयं को शिक्षित भी किया है तथा सफलता पूर्वक अपने + 2 परीक्षा, एक पूर्व स्नातक डिग्री, एक स्नातकोत्तर डिग्री, एक डिप्लोमा तथा 8 प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक संपन्न किया है । उसके द्वारा अनुच्छेद 161 के तहत दंडादेश के परिहार बाबत् प्रस्तुत याचिका राज्य के मंत्रीमंडल की अनुसंशा के उपरांत ढाई वर्षो तक लंबित रहने तथा राज्यपाल द्वारा अग्रेषित किये जाने उपरांत एक वर्ष से अधिक समय तक लंबित रहने की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में हम प्रकरण को राज्यपाल के विचारार्थ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित नहीं पाते है । अन्य किसी प्रकार की निर्योग्यता तथा प्रकरण के आपवादिक तथ्य व परिस्थितियों में, संविधान के अनुच्छेद 142 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हम निर्देशित करते है कि अपराध क्र 329/1991 में अपीलार्थी दंडादेश भुगता हुआ माना जावे । अपीलार्थी, जो जमानत पर है, उसे तत्काल स्वतंत्र किया जाता है ।(पैरा 28)

1.4 अनुच्छेद 161 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के मामले में राज्य मंत्रिमंडल का परामर्श राज्यपाल पर बंधनकारी होगी । अनुच्छेद 161 के अंतर्गत शक्तियों के अप्रयोग की स्थिति अथवा बंदी के कारण से भिन्न कारणो से उक्त शक्ति प्रयोग में अपरिहार्य विलंब के प्रकरण इस न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन होंगे, विशेषतः उन मामलो में जब राज्य मंत्रिमंडल द्वारा बंदी को छोड़े जाने का निर्णय लिया जाकर तत्संबंधी अनुसंशा राज्यपाल को की जा चुकी हो । तमिलनाडू मंत्रिमंडल द्वारा की गई सिफारिश को राज्यपाल द्वारा ढाई वर्षो बाद भारत के राष्ट्रपति को संदर्भित किया जाना संविधान सम्मत नहीं है जिसमें *"राज्यपाल वस्तुतः राज्य सरकार की लघुकृत अभिव्यक्ति है"* न ही राज्य केबिनेट द्वारा स्पष्ट पक्षपात या अप्रासंगिक आधारो पर निर्णय लिया जाना इंगित किये जाने का प्रयास किया गया है, जो कि उक्त न्यायनिर्णयन की धुरी है । धारा 302 भा.द.सं. अंतर्गत दिये गये दंडादेश के संघ सरकार द्वारा परिहार/लघुकरण की शक्तियो संबंधी इस न्यायालय के द्वारा *श्रीहरन* न्यायनिर्णयन अंतर्गत लिया गया निष्कर्ष गलत है, क्योकि केन्द्र को संविधान के द्वारा या संसद द्वारा बनाये गये किसी विधि के द्वारा धारा 302 के संबंध में अभिव्यक्त कार्यपालिक शक्तिया प्रदत्त नहीं है । उक्त स्थिति से धारा 302 सूची 03 की प्रविष्टी 01 अंतर्गत विषय मानकर तत्संबध में राज्य की कार्यपालिक शक्तिया प्रभावी होंगी । अपीलार्थी की लंबी अभिरक्षा अवधि, उसके द्वारा जेल में तथा पैरोल अवधि में किये गये अच्छे आचरण, चिकित्सा अभिलेख में उसकी लंबी बीमारी, अभिरक्षा द्वौरान उसके द्वारा अर्जित शैक्षणिक योग्यताऐं तथा राज्य मंत्रिमंडल द्वारा सिफारिश किये जाने उपरांत उसकी अनुच्छेद 161 अंतर्गत प्रस्तुत याचिका ढाई वर्षो तक लंबित रहने के

**परिप्रेक्ष्य में, हम प्रकरण को राज्यपाल के विचारार्थ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित नहीं पाते है । संविधान के अनुच्छेद 142 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हम निर्देशित करते है कि अपराध क्र 329/1991 में अपीलार्थी दंडादेश भुगता हुआ माना जावे । अपीलार्थी, जो जमानत पर है, उसे तत्काल स्वतंत्र किया जाता है । (पैरा 29)**

म०प्र० विशेष पुलिस स्थापना बनाम म०प्र० राज्य **(2004) 8 एस सी सी 788: (2004)(5)पूरक एस सी आर 1020– अंतर किया**

भारत संघ बनाम श्रीहरन **(2016)7 एस सी सी 1: (2015)(14) एस सी आर 613;** राय साहिब राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य **(1955)2 एस सी आर 225;** समसेर सिंह बनाम पंजाब राज्य **(2074)(2) एस सी सी 831: (1975)(1) एस सी आर 814;** नबम रेबिया एवं बामंग फेलिक्स बनाम डिप्टी स्पीकर अरूणाचल प्रदेश विधान सभा**(2016) 8 एस सी सी 1: (2016)(6) एस सी आर 1;** मारूराम बनाम भारत संघ **(1981)1 एस सी सी 161;** समशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य **(1974) (2)एस सी सी 831: (1975)(1)एस सी आर 814**; इपूरू सुधाकर बनाम आंध्रप्रदेश सरकार **(2006)8 एस सी सी 161:(2006)(7)पूरक एस सी आर 81**– संदर्भित किया

**<u>संदर्भित मामले:</u>**

| | | |
|---|---|---|
| [2015](14) एस सी आर 613 | संदर्भित अनुसार | पैरा 3 |
| [2004](5) पूरक एससीआर 1020 | संदर्भित अनुसार | पैरा 22 |
| [1955] 2 एस सी आर 225 | संदर्भित अनुसार | पैरा 14 |
| [1975](1)एस सी आर 814 | संदर्भित अनुसार | पैरा 15 |
| [2016](6)एस सी आर 1 | संदर्भित अनुसार | पैरा 16 |
| [1981] 1 एस सी सी 161 | संदर्भित अनुसार | पैरा 17 |
| [1975](1)एस सी आर 814 | संदर्भित अनुसार | पैरा 18 |
| [2006](7) पूरक एससीआर 81 | संदर्भित अनुसार | पैरा 20 |

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 833–834/2022

मंद्रास उच्च न्यायालय के क्रिला ओ पी एस आर संख्या 4084/2015 एवं क्रिला ओ पी संख्या 5073/2015 के निर्णय एवं आदेश दिनांक 06.03.2015 से उत्पन्न

साथ

आपराधिक अपील संख्या 835/2022

अपीलकर्ताओं के लिए: वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल शंकरनारायणन, श्री प्रभु रामसुब्रमण्यम, श्री के. पारी वेंधन, श्री रघुनाथ सेतुपति बी, श्री विष्णु उन्नीकृष्णन, सुश्री शिवानी विज, सुश्री आर. प्रिया, अधिवक्ता ।

उत्तरदाताओं के लिए : श्री तुषार मेहता एस.जी., श्री के.एम. नटराज, एस.जी., वी कृष्णमूर्ति, अमित आनंद तिवारी, ए.ए.जी.एस, राकेश द्वेदी वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री रेखा पांडे, श्री टी.ए. खान, अशोक पाणीग्रहि, वंशराज शुक्ला, कानू अग्रवाल, सुश्री कीर्ति दुआ, अरविंद कुमार शर्मा, डॉ. जोसेफ अरस्तू एस., एकलव्य द्विवेदी, सुश्री मेरी मिक्जी, सुश्री देव्यानी गुप्ता, सुश्री तान्वी आनंद, सुश्री नुपूल शर्मा, शोभित द्विवेदी, संजू कुमार महरा, सुश्री जेसिका भारद्वाज, बी वी बालाराम दास, जी आनंदा सेलवेम, एस मुथ्थु कृष्णन, टी थिरुमुरुगन, पी सोमा सुंदरम अधिवक्ता ।

न्यायालय का निर्णय पारित किया गया

**एल नागेश्वर राव, न्यायाधीश**

अनुमति दी गई.

1. अपीलकर्ता 21.05.1991 को भारत के पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या के लिए श्रीपेरंबुदूर पुलिस स्टेशन में पंजीबद्ध अपराध संख्या 329/1991 में अभियुक्त क्रमांक 18 है। अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी' के लिए) आयुद्ध अधिनियम, 1951, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908, पासपोर्ट अधिनियम, 1967, विदेशी अधिनियम, 1946, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम , 1933 और आतंकवादी एवं विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (संक्षेप में 'टाडा') के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। उसे नामित टाडा न्यायालय ने मौत की सजा सुनाई थी। इस न्यायालय ने दिनांक 11.05.1999 के एक निर्णय द्वारा अपीलकर्ता पर अधिरोपित दोषसिद्धि और सजा को यथावत रखा। हालाँकि, टाडा के तहत दोषसिद्धि और सजा को अपास्त कर दिया गया था। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनर्विचार याचिका को दिनांक 08.10.1999 के एक आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया था। अपीलकर्ता ने तीन अन्य लोगों के साथ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत तमिलनाडु के राज्यपाल के समक्ष दया याचिका प्रस्तुत की, जिसे 27.10.1999 को खारिज कर दिया गया। तमिलनाडु उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के अनुसार, अपीलकर्ता की दया याचिका पर राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार किया गया और 25.04.2000 को फिर से निरस्त कर दिया गया। अपीलकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका प्रस्तुत की, जिसे 12.08.2011 को निरस्त कर दिया गया। इससे व्यथित होकर, मद्रास उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका प्रस्तुत की गई। मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत उक्त रिट याचिका दिनांक 01.05.2012 के एक

आदेश द्वारा इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दी गई थी। इसके बाद, 18.02.2014 को इस न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया।

2. तमिलनाडु राज्य ने अपीलकर्ता द्वारा 23 साल की सजा भुगतने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता पर लगाए गए आजीवन कारावास की सजा को माफ करने का प्रस्ताव भारत सरकार को दिया, और तीन दिनों के भीतर अपने विचार रखने का अनुरोध किया। उक्त प्रस्ताव आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षिप्त सीआरपीसी के लिए) की धारा 435 के अंतर्गत प्रेषित किया गया था, जिसके अनुसार केंद्र सरकार से परामर्श करना आवश्यक था, क्योंकि मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की गई थी। भारत संघ ने तुरंत आपराधिक विविध याचिका इस न्यायालय द्वारा 18.02.2014 को निराकृत किये गए मामलों में प्रस्तुत कीं, जिससे अपीलकर्ता को दी गई सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। इन याचिकाओं में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु राज्य को अपीलकर्ता को रिहा नहीं करने का निर्देश देने की मांग की। इस न्यायालय द्वारा 20.02.2014 को उक्त आपराधिक विविध याचिकाओं में यथास्थिति का आदेश पारित किया गया था। अपीलकर्ता की सजा कम करने के दिनांक 18.02.2014 के निर्णय  के विरूद्ध भारत संघ द्वारा प्रस्तुत पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

3.  भारत संघ ने तमिलनाडु राज्य से दिनांक 19.02.2014 के संचार को रद्द करने और अपीलकर्ता और कुछ अन्य लोगों पर लगाई गई सजा को लघुकरण /परिहार करने पर विचार करने के अपने निर्णय के लिए दिनांक 24.04.2014 को याचिका प्रस्तुत की । विचार के लिए सात प्रश्न तैयार करने के बाद दिनांक 25.04.2014 के आदेश द्वारा रिट याचिका को इस न्यायालय की संविधान पीठ को भेजा गया था। दिनांक 02.12.2015 के एक निर्णय द्वारा, इस न्यायालय ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया जो भारत संघ बनाम श्रीहरन[1] में विचार के लिए तय किए गए थे ।

4.  अपीलकर्ता ने अपनी सजा की माफी के लिए संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत दिनांक 30.12.2005 को याचिका प्रस्तुत की। अपीलकर्ता को छूट देने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को निरस्त करने के लिए भारत संघ द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका का निराकरण इस न्यायालय द्वारा 06.09.2018 को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया था कि अपीलकर्ता द्वारा संविधन के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत एक याचिका दायर की गई थी जो संबंधित प्राधिकारी को उक्त याचिका को उचित समझे जाने पर निपटाने की स्वतंत्रता देता है। तमिलनाडु कैबिनेट द्वारा 09.09.2018 को एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें अपीलकर्ता की रिहाई की अनुसंशा की गई, जिसे राज्यपाल को भेजा गया था।

5. इस बीच, अपीलकर्ता ने नामित टाडा न्यायालय, चेन्नई के समक्ष एक आपराधिक विविध याचिका प्रस्तुत की जिसमें हत्या के लंबित अनुसंधान की प्रभावी निगरानी की प्रार्थना की गई। उक्त याचिका को टाडा न्यायालय ने 10.12.2013 को निरस्त कर दिया था, जिसके विरूद्ध अपीलकर्ता ने धारा 482, सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक मूल याचिका प्रस्तुत की । एक अन्य आपराधिक मूल याचिका प्रस्तुत की गई थी जिसमें सीबीआई को लंबित अन्वेषण को शीघ्रता से पूरा करने और प्रति दो माह में एक बार उच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय ने 06.03.2015 को अलग–अलग आदेशों द्वारा दोनों याचिकाओं को निरस्त कर दिया, यह मानते हुए कि अपीलकर्ता को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। ये अपीलें उच्च न्यायालय द्वारा 06.03.2015 को पारित उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। इस न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता द्वारा सजा के निलंबन की मांग करते हुए प्रस्तुत क्रिला.एम.पी. संख्या 2017 का 118421 सी.आर.एल. में नोटिस जारी किया गया था।

6. इन अपीलों के लंबित रहने के दौरान, इस न्यायालय को सूचित किया गया कि 09.09.2018 को तमिलनाडु कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव पर राज्यपाल द्वारा अपीलकर्ता की रिहाई की सिफारिश पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। 11.02.2020 को, इस न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता को राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की अनुसंशा की स्थिति पर अनुदेश प्राप्त करने का निर्देश दिया। पैरोल के लिए प्रस्तुत आवेदनों की सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि राज्यपाल ने बहु–अनुशासनात्मक समीक्षा एजेंसी(संक्षिप्त में एम डी एम ए) की अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा के कारण अपीलकर्ता की सजा की परिहार से संबंधित राज्य मंत्रिमंडल द्वारा की गई सिफारिश पर कोई निर्णय नहीं लिया है। सीबीआई ने 20.11.2020 को इन अपीलों में एक शपथपत्र प्रस्तुत कर इस न्यायालय को सूचित किया कि राज्यपाल द्वारा एमडीएमए की रिपोर्ट मांगने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया था और अनुच्छेद 161 के तहत प्रस्तुत याचिका पर उसके गुण–दोष के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है।

7. भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल इस न्यायालय को सूचित करने के लिए 21.01.2021 को उपस्थित हुए कि राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 161 के तहत प्रस्तुत याचिका पर बिना किसी देरी के निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद, 04.02.2021 को गृह मंत्रालय के उप सचिव द्वारा एक शपथपत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया कि राज्यपाल ने 25.01.2021 के आदेश द्वारा अपीलार्थी द्वारा अनुच्छेद 161 के अंतर्गत प्रस्तुत याचिका पर निर्णय लेने हेतु भारत के राष्ट्रपति को उचित प्राधिकारी के रूप में निर्धारित करते हुए तमिलनाडु मंत्रीमंडल द्वारा की गई अनुसंशा के साथ याचिका भारत के राष्ट्रपति को संदर्भित कर दी थी।

8. दिनांक 09.03.2022 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने अपीलकर्ता को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता ने 31 साल से अधिक समय जेल में बिताया था, जेल में उसका आचरण अच्छा था, उसने कई शैक्षणिक योग्यताएं हासिल की थीं और ख़राब स्वास्थ्य से पीड़ित था, जमानत पर रिहा कर दिया ।

9. अपीलकर्ता की ओर से, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री गोपाल शंकरनारायणन ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता को छूट देने के लिए राज्य मंत्रिमंडल द्वारा की गई अनुसंशा पर राज्यपाल द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए था। राज्यपाल के पास राज्य मंत्रिमंडल की अनुसंशा को भारत के राष्ट्रपति को संदर्भित करने की शक्ति नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य मंत्रिमंडल द्वारा की गई अनुसंशा राज्यपाल के लिए बंधनकारी है और वह स्वतंत्र विवेक का प्रयोग नहीं कर सकते। अधिक से अधिक, राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडल से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध कर सकते थे, लेकिन उनके पास राज्य मंत्रिमंडल द्वारा की गई अनुसंशा को भारत के राष्ट्रपति को संदर्भित करने का क्षेत्राधिकार या शक्ति नहीं थी, क्योंकि अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह एवं सहायता पर करते है आगे यह प्रस्तुत किया गया कि यदि सक्षम प्राधिकारी के भारत के राष्ट्रपति होने के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल द्वारा आज तक दी गई प्रत्येक क्षमा/निलंबन असंवैधानिक होगा।

10. तमिलनाडु राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राकेश द्विवेदी ने यह तर्क देकर अपीलकर्ता के तर्क का समर्थन किया कि इस न्यायालय की एक से अधिक संविधान पीठ ने अनुच्छेद 161 से 163 के क्षेत्र को स्पष्ट किया है जिसके अनुसार , जब तक कि संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से प्रावधानित न किया गया हो, राज्यपाल मंत्रियों के मंत्रिमंडल के निर्णय से बंधनकारी है। यदि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा लिया गया कोई निर्णय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से परे पाया जाता है, तो इसे हमेशा संवैधानिक न्यायालयों के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। हालाँकि, राज्यपाल को संवैधानिक रूप से मंत्रिपरिषद की अनुसंशा पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने आगे आग्रह किया कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति के निर्णय के लिए राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश को संदर्भित करने में सक्षम बनाता है। राज्यपाल का ऐसा कार्य इस देश के संघीय ढांचे का उल्लंघन होगा, जो हमारे संविधान की मूल विशेषता है।

11. भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री के.एम नटराज ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में लघुकरण/निलंबन के मामले में उपयुक्त सरकार भारत संघ है। उन्होंने इस न्यायालय के निर्णय श्रीहरन (पूर्वोक्त) के कुछ अंशो से समर्थन मांगा और तर्क दिया कि राज्यपाल ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा की गई सिफारिश को सही ढंग से

संदर्भित किया, क्योंकि यह केवल भारत के राष्ट्रपति ही है जो अपीलार्थी की सजा पर लघुकरण/निलंबन पर निर्णय ले सकते है । उन्होंने आगे तर्क दिया कि राज्यपाल हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधित नहीं होते हैं और उक्त नियम के मान्यता प्राप्त अपवाद हैं जहां राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता होती है। उक्त प्रस्ताव के लिए, उन्होंने **मप्र विशेष पुलिस स्थापना बनाम मप्र राज्य**[2] में इस न्यायालय के फैसले पर विश्वास किया, जिसमें यह माना गया था कि उन अवसरों पर जहां तथ्यों पर मंत्रिपरिषद का पूर्वाग्रह स्पष्ट हो गया था और /या मंत्रिपरिषद का निर्णय तर्कहीन और प्रासंगिक कारकों पर विचार न करने के आधार पर दिखाया गया है, तो उस मामले के तथ्यों पर, राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करना और मंजूरी देना सही होगा। उन्होंने इस न्यायालय को यह समझाने का प्रयास किया कि अपीलकर्ता द्वारा भारत के राष्ट्रपति को राज्य मंत्रिमंडल की अनुसंशा के संदर्भ से संबंधित विवाद रिट याचिका के दायरे से बाहर है और इसलिए, इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

12. इन अपीलों में एकमात्र बिंदु जिस पर विचार किये जाने की आवश्यकता है, वह अपीलकर्ता की सजा के लघुकरण पर राज्य मंत्रिमंडल द्वारा की गई अनुसंशा पर निर्णय लिए बिना राज्यपाल द्वारा 25.01.2021 को भारत के राष्ट्रपति को किए गए संदर्भ की शुद्धता है। हम विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की प्रारंभिक आपत्ति को स्वीकार नहीं करते हैं कि यह बिंदु इस अपील के दायरे में नहीं है। ऊपर उल्लिखित तथ्यों से, यह स्पष्ट है कि ये अपीलें अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार करने से इनकार करने के आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें से एक नामित टाडा न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध थी, जिसमें प्रभावी निगरानी के अनुरोध को निरस्त कर दिया गया था। इस न्यायालय ने अपीलकर्ता की ओर से सजा के निलंबन हेतु प्रस्तुत क्रिला एम पी संख्या 118421/2021 में नोटिस जारी किया था, जिसमें यह कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा समय से पूर्व रिहाई के आदेश के बाद भी केन्द्र सरकार ने 2017 तक अपीलकर्ता के भाग्य के विषय में कोई निर्णय जैसा कि श्रीहरन(पूर्वोक्त) के निर्णय के आलोक में आवश्यक था, नहीं लिया इसके अलावा, इन अपीलों के लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ता द्वारा निलंबन के लिए प्रस्तुत याचिका पर राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 09.09.2018 को अनुकूल रूप से विचार किया गया था, लेकिन राज्यपाल ने उक्त अनुसंशा पर कोई निर्णय नहीं लिया। अंततः राज्यपाल ने राज्य मंत्रिमंडल की अनुसंशा पर कोई निर्णय न लेते हुए मामले को भारत के राष्ट्रपति के पास संदर्भित कर दिया। इस न्यायालय के विचारार्थ उत्पन्न होने वाले विवाद के महत्व को देखते हुए, हम विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की आपत्ति पर विचार करने से इनकार करते हैं और अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए बिंदु को निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

13. राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार करने वाले किसी भी विधि के विरूद्ध अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, विराम देने, विराम देने या सजा को निलंबित करने, परिहार करने या लघुकरण करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल में निहित है। अनुच्छेद 162 यह स्पष्ट करता है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति उन मामलों तक विस्तारित होगी जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल के पास विधि निर्माण की शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 163 में प्रावधान है कि राज्यपाल को अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता और परामर्श देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, सिवाय इसके कि जब तक वह इस संविधान के अंतर्गत या उसके अंतर्गत अपने कार्यों का पालन करने के लिए आवश्यक न हो या उनमें से कोई भी उसके विवेक पर निर्भर करता है।

14. भारतीय संविधान के तहत कार्यकारी सरकार जिन सीमाओं के भीतर कार्य कर सकती है, उन्हें हमारे संविधान द्वारा स्थापित कार्यपालिका के स्वरूप के संदर्भ में बिना किसी कठिनाई के सुनिश्चित किया जा सकता है। हमारा संविधान, हालांकि इसकी संरचना में संघीय है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है जहां कार्यपालिका को सरकारी नीति के निर्माण और विधि में इसके प्रसारण के लिए प्राथमिक जवाबदेही माना जाता है, हालांकि इस जवाबदेही के प्रयोग से पहले की शर्त इसे राज्य की विधायिका का विश्वास बनाए रखना है। राज्यपाल राज्य में कार्यपालिका के प्रमुख का पद धारण करता है, लेकिन वस्तुतः प्रत्येक राज्य में मंत्रिपरिषद ही कार्यकारी सरकार चलाती है। इसलिए, भारतीय संविधान में, हमारे पास इंग्लैंड की ही तरह एक संसदीय कार्यपालिका प्रणाली है और  ब्रिटिश केबिनेट की तरह ही विधानमंडल के सदस्यों से बनी मंत्रिपरिषद, "एक हाइफ़न है जो जुड़ती है, एक बकल" है जो राज्य के विधायी भाग को कार्यकारी भाग से जोड़ता है।"[3]

15. हमारे संविधान में सन्निहित सरकार की कैबिनेट प्रणाली के तहत राज्यपाल राज्य का संवैधानिक या औपचारिक प्रमुख होता है और वह अपने मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श पर संविधान द्वारा या उसके तहत प्रदत्त अपनी सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करता है। , उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां राज्यपाल को संविधान के तहत या उसके तहत अपने कार्यों को अपने विवेक से करने की आवश्यकता होती है। जहां भी संविधान में राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा किसी भी शक्ति या कार्य के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल की संतुष्टि की आवश्यकता होती है, जैसा भी मामला हो, उदाहरण के लिए अनुच्छेद 123, 213, 311(2) परंतुक (सी) में , 317, 352(1), 356 और 360, संविधान द्वारा अपेक्षित संतुष्टि राष्ट्रपति या राज्यपाल की व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं है, बल्कि सरकार की कैबिनेट प्रणाली के तहत संवैधानिक अर्थों में राष्ट्रपति या राज्यपाल की संतुष्टि है। यह मंत्रिपरिषद की संतुष्टि है जिसकी सहायता और परामर्श

पर राष्ट्रपति या राज्यपाल सामान्यतः अपनी सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करते हैं[4]।

16. चाहे राज्यपाल को संविधान के विभिन्न प्रावधानों के तहत कुछ कार्यों को करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है, लेकिन इनका प्रयोग केवल अनुच्छेद 163 के तहत उन्हें दी गई सहायता और परामर्श के आधार पर ही किया जाना आवश्यक है, जब तक कि राज्यपाल को स्पष्ट रूप से किसी संवैधानिक प्रावधान द्वारा या उसके अंतर्गत अपने विवेक से संबंधित कार्य का निर्वहन करने के लिए अधिकृत किया गया है[5]।

> 17. इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा **मारू राम बनाम भारत संघ[6],** में संविधान के अनुच्छेद 161 के संबंध में आधिकारिक रूप से निष्कर्षित किया गया है जिसे यहा उद्धत किया जा रहा है,
>
> ".....राज्यपाल कार्यपालक शक्ति का औपचारिक प्रमुख तथा एकल कोष होता है लेकिन मंत्री परिषद के सलाह पर तथा उसके अनुरुप, के सिवाय कार्य नहीं कर सकता । परिणामतः भले ही राज्यपाल को स्वीकार हो या ना हो, राज्य सरकार अनुच्छेद 161 के तहत परामर्श व कार्य कर सकती है, राज्यपाल उस परामर्श से बाध्य होगा । अस्तु लघुकरण व उन्मोचन के कार्य सरकार के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में होंगे तथा यद्यपि आदेश बिना राज्यपाल के अनुमोदन के किया गया हो, लेकिन कार्य नियमावली तथा संवैधानिक शिष्टाचार के तहत, यह आवश्यक है कि क्षमा, लघुकरण तथा उन्मोचन आदेश राज्यपाल के हस्ताक्षर से अधिकृत किया गया हो"।"

18. **समशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य[7]** में प्रतिपादित विधिक स्थिति को इस न्यायालय द्वारा **मारू राम** (पूर्वोक्त) में अनुसरण करते हुए आगे अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 72 और 161 के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग के संबंध में, हमारी संवैधानिक ढाचे में दो सर्वोच्च गणमान्य व्यक्ति कार्य करते हैं और उन्हें अपने निर्णय पर नहीं बल्कि मंत्रि परिषद के सलाह व सहायता पर कार्य करना होता है । संवैधानिक निष्कर्ष यह है कि राज्यपाल राज्य सरकार की एक लघुकृत अभिव्यक्ति है।

19. इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त वर्णित अनुसार प्रतिपादित विधिक स्थिति स्पष्ट व अभिव्यक्त है।अनुच्छेद 161 के तहत दंडादेशों के लघुकरण/परिहार संबंधी मामलों में राज्य मंत्री परिषद की सलाह राज्यपाल पर बाध्यकारी है । राज्य मंत्री परिषद द्वारा की गयी सिफारिश को भारत के राष्ट्रपति को अग्रेषित किये जाने संबंधी कोई संवैधानिक प्रावधान हमारे समक्ष चिन्हांकित नहीं किया गया ना ही इस संबंध में राज्यपाल को शक्ति निहित होने बाबत कोई संतुष्टिजनक उत्तर ही हमे प्राप्त हुआ । विद्यमान मामले में राज्यपाल को राज्य मंत्री परिषद की सिफारिश को भारत के राष्ट्रपति के पास अग्रेषित नहीं किया जाना था । ऐसे कार्य उपरोक्त वर्णित अनुसार संवैधानिक ढांचे के विपरीत है

। यहां यह इंगित किया जाना प्रासंगिक है कि राज्य मंत्री परिषद द्वारा दिनांक 09.09.2018 को की गयी सिफारिश राज्यपाल के समक्ष करीब ढाई वर्षों तक बिना निर्णय के लंबित रही । इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के दंडादेश बाबत राज्य सरकार द्वारा की गयी सिफारिश संबंधी निर्णय में विलंब के कारण बाबत पूछे जाने पर राज्यपाल द्वारा उक्त सिफारिश भारत के राष्ट्रपति को अग्रेषित की गयी ।

20. संविधान द्वारा राज्यपाल को उसके पदेन शक्तियों का उपयोग तथा कर्तव्य के निष्पादन तथा उक्तानुक्रम में किया गया कोई कार्य अथवा उक्ताशय से किये जाने वाले कार्य के संबंध में प्रदत्त संवैधानिक संरक्षण के संबंध में हम पूर्णतः भिज्ञ है । तथापि इस न्यायालय द्वारा अनेक निर्णयों में अभिनिर्धारित है कि अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के आदेश के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति इस न्यायालय को प्राप्त है जो कि किन्हीं परिस्थितियों में ही रद्द की जा सकती है। *इपुरु सुधाकर विरुद्ध आंध्रप्रदेश शासन*[8] में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित अनुसार अनुच्छेद 161 के तहत शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाना न्यायिक पुनर्विलोकन से परे नहीं है । जब राज्य मंत्री परिषद द्वारा किसी बंदी को परिहार/लघुकरण का लाभ दिया जाकर उसे स्वतंत्र किये जाने का निर्णय लिया गया हो, तब ऐसी परिस्थिति में अनुच्छेद 161 संबंधी याचिकाओं के संबंध में अयुक्तियुक्त विलंब, जिसके लिए बंदी जिम्मेदार ना हो, अक्षम्य है क्योंकि उक्त याचिकाएं व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित होती है ।

21. इस न्यायालय द्वारा मप्र विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (पूर्वोक्त) में निर्णित स्थिति के परिप्रेक्ष्य में विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का तर्क है कि केबिनेट के अतार्किक निर्णय को राज्यपाल द्वारा परीक्षण कर भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है । मध्यप्रदेश सरकार के दो मंत्रियों के विरुद्ध धारा 197 दंप्रसं के तहत अभियोजन की स्वीकृति उक्त प्रकरण की विषय वस्तु थी । अवैधानिक रुप से भूमि प्रदत्त किये जाने बाबत लोकायुक्त को प्राप्त शिकायत के संबंध में लोकायुक्त द्वारा जांच उपरांत प्रतिवेदन जमा किया गया था कि उक्त दो मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 अंतर्गत अभियोजित किये जाने के पर्याप्त आधार मौजूद है । राज्य मंत्री परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु दोनों मंत्रियों के विरुद्ध कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है । लेकिन राज्यपाल की यह राय थी कि प्रथम दृष्टया अभियोजित किये जाने योग्य प्रकरण है तथा स्वीकृति प्रदान किया गया । संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्षुब्ध मंत्रियों द्वारा रिट याचिकाएं इस आधार पर दाखिल की गयी कि संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को अपने विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं करना था । मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाए स्वीकार कर निष्कर्षित किया कि मंत्रियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति राज्यपाल द्वारा विवेकाधीन शक्तियों के तहत किये जाने वाला कार्य नहीं है तथा राज्यपाल को मंत्री परिषद के सिफारिश व परामर्श के प्रतिकुल कार्य नहीं करना था। उक्त निर्णय की उच्च न्यायालय के डिवीजन

बेंच द्वारा पुष्टि की गयी जिससे क्षुब्ध होकर इस न्यायालय में अपील फाईल की गयी । इस न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज कर यह अभिनिर्धारित किया गया कि सामान्य परिस्थितियों में यद्यपि अभियोजन की स्वीकृति का विषय मंत्री परिषद के सिफारिश व सलाह पर आधारित है ना कि राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों के तहत, तथापि मुख्यमंत्री या मंत्री को अभियोजित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में आपवादिक स्थिति में औचित्य अनुसार राज्यपाल को स्वयं के विवेकाधीन कार्य करना होता है । इस न्यायालय द्वारा यह नोट किया गया कि अभियोजन स्वीकृति को अस्वीकार करते समय मंत्री परिषद द्वारा तत्संबंधी प्रासंगिक लोकायुक्त प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया गया । ऐसे प्रासंगिक तथ्य पर विचार किये बिना या अप्रासंगिक तथा बाहरी कारकों पर विचार कर पारित किया गया आदेश किसी प्रशासनिक आदेश को दूषित करता है । इस न्यायालय का यह मत है कि ऐसे मामलों में राज्यपाल अपने विवेक अनुसार कार्य कर सकते है अन्यथा की स्थिति में विधि का शासन पूर्णतः भंग हो जाएगा ।

22. हमें डर है कि म०प्र० विशेष पुलिस स्थापना (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय का निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं है। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा प्रासंगिक कारकों पर विचार न करने या राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अपनी सिफ़ारिशों को बाहरी विचारों पर आधारित करने का मामला बनाने के लिए कोई तर्क सामने नहीं रखा गया है। इसके अलावा, उक्त मामले में, राज्यपाल ने एक निर्णय लिया था जिसे बाद में चुनौती दी गई थी, वर्तमान मामले के विपरीत, जहां राज्यपाल ने केवल राज्य मंत्रिमंडल द्वारा की गई सिफारिश को भारत के राष्ट्रपति को अग्रेषित कर दिया है।

23. श्री नटराज द्वारा श्रीहरन (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय के फैसले पर दृढ़ता से भरोसा किया गया था कि यह केवल भारत के राष्ट्रपति हैं, जिनके पास सजा दिए जाने पर क्षमा करने या सजा में छूट देने या कम करने की शक्ति है। आईपीसी के किसी भी प्रावधान के तहत और राज्यपाल के पास संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए क्षमा देने की कोई शक्ति नहीं है। श्रीहरन (पूर्वोक्त) में संविधान पीठ द्वारा विचार के लिए तैयार किए गए बिंदुओं में से एक इब्राहिम कलीफुल्ला, जे की राय में सीआरपीसी की धारा 432 और 433 के तहत शक्तियों के प्रयोग के लिए "उचित सरकार" के निर्धारण से संबंधित था। (अपनी ओर से बोलते हुए, दत्तू, सीजे और घोष, जे.) प्रतिक्रिया निम्नलिखित शब्दों में दी गई थी:

"**प्रश्न 52.3, 52.4 और 52.5:**

**52.3 क्या संहिता की धारा 432(7) स्पष्टतः संघ के कार्यपालिक शक्तियों के स्थान पर राज्य की कार्यपालिक शक्तियों को प्राथमिकता प्रदान करती है, जहां संघ व राज्य की शक्तियां सहअस्तित्व में हो ?**

**52.4 क्या परिहार संबंधी शक्तियों के प्रयोग के संबंध में भारत के संविधान की सातवी अनुसूची की तीसरी सूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में संघ या राज्य को प्राथमिकता है ?**

**52.5 क्या किसी मामले में संहिता की धारा 432(7) के तहत दो समुचित सरकारे हो सकती है ?**

**उत्तर**

180. संविधान के अनुच्छेद 73(1)(a) के परिप्रेक्ष्य में समुचित सरकार की प्रस्थिति चाहे संघ सरकार या राज्य सरकार धारा 432(6)में वर्णित अनुसार आपराधिक न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश पर निर्भर है, उन मामलों में जिनमें दोषसिद्धी व पारित दंडादेश संसद द्वारा बनाये गये किसी विधि अथवा स्वयं संविधान द्वारा संघ को प्रदत्त कार्यपालिक शक्ति से संबंधित हो तब उस विषय पर राज्य कानून बनाने सशक्त हो या उसकी शक्ति सह अस्तित्व में हो, तब समुचित सरकार संघ सरकार होगी । [जीवी रामनैय्या बनाम अधीक्षक केन्द्रीय जेल,(1974) 3 एससीसी 531 : 1974 एससीसी (सीआरआई) 6 : एआईआर 1974 एससी 31 ] में पारित सिद्धांत लागू किया जाना होगा । अन्य शब्दों में उन मामलों में जो धारा 432(7)(a) के तहत संघ को प्रदत्त कार्यपालिक शक्तियों से संबंधित है उनमें समुचित सरकार के संबंध में संघ सरकार को प्राथमिकता होगी । धारा 432(7)(a) संबंधी मामलों से भिन्न मामलों में तथा उन सभी मामलों में जहां अभियुक्त को संबंधित राज्य के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार अंतर्गत दंडित किया गया हो या दंडादेश पारित किया गया हो, तब समुचित सरकार राज्य सरकार होगी"

24. न्यायमुर्ति ललित ने उक्ताशय अनुसार सहमत राय रखते हुए (स्वयं तथा न्यायमुर्ति सप्रे के हवाले से राय व्यक्त करते हुए) उत्तर निम्नांकित अनुसार दिया गयाः

> "219. हम, वर्तमान मामले में वस्तुतः धारा 302 भादंसं के अपराध से, संबंधित है । जहां तक TADA अंतर्गत दोषसिद्धी से संबंध है उक्त संबंध में अनावेदक उक्त दोषसिद्धी से दोषमुक्त किये जा चुके है । हमें विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राकेश द्वीवेदी की दलीलो से बल प्राप्त करता दिखता है कि धारा 302 भादंसं का अपराध संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 की प्रविष्टि 1 "लोक व्यवस्था" से प्रत्यक्षतः संबंधित है जिससे अनन्य रुप से राज्य के

कार्यक्षेत्र अंतर्गत है । हमारे मतानुसार प्रश्नास्पद अपराध अनन्य रुप से राज्य के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत है तथा उक्त अपराध के संबंध में राज्य की कार्यपालिक शक्ति लागू होती है । यहां उपरोक्त वर्णित सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में यदि तर्क हेतु भी यह माना जाए कि धारा 302 भादंसं का अपराध सूची 3 की प्रविष्टि 1 से संबंधित है, तब भी संविधान के किसी अभिव्यक्त प्रावधान या संसद द्वारा पारित कानून के अभाव में केवल राज्य की ही कार्यपालिक शक्ति लागू होगी । परिणामतः वर्तमान मामले के प्रश्नास्पद अपराध के संबंध में समुचित सरकार राज्य सरकार ही है । यहां यह नोट किया जाना प्रासंगिक है कि के.एम.नानावटी बनाम बाम्बे राज्य (के.एम. नानावटी बनाम बाम्बे राज्य, ए.आई.आर 1961 एस सी 112: (1961)1 क्रिलाज 173: (1961) एस सी आर 497 पेज 516) के प्रकरण से लेकर अब तक धारा 302 भादंसं के अपराध के संबंध में समुचित शक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल द्वारा या दंप्रसं अंतर्गत समुचित सरकार के रुप में राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता रहा है ।

क्या संहिता की धारा 432(7) स्पष्ट रूप से संघ की कार्यकारी शक्ति को प्रधानता देती है और उस राज्य की कार्यकारी शक्ति को बाहर करती है जहां संघ की शक्ति व्यापक है?

25. धारा 432 (7) दप्रसं निम्नानुसार उद्धृत है–

432. सज़ा को निलंबित करने या कम करने की शक्ति

.....

(7) इस धारा में और धारा 433 में, अभिव्यक्ति "समुचित सरकार" का अर्थ है:

(ए) उन दशाओं में जिनमें दंडादेश ऐसे व्यक्ति से समबद्ध किसी विधि के विरूद्ध अपराध के लिए है या उपधारा (6) में निदृष्ट आदेश ऐसे विषय से समबद्ध किसी विधि के अधीन पारित किया गया है, जिस विषय पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, केन्द्रीय सरकार, अभिप्रेत ;

(बी) अन्य दशाओं में, उस राज्य की सरकार अभिप्रेत है जिसमें अपराधी दंडादिष्ट किया गया है या उक्त आदेश पारित किया गया है।

संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा का पता लगाने के लिए, इस न्यायालय ने अनुच्छेद 72, 73, 161 और 162 पर गौर किया और उनका विस्तृत विश्लेषण किया। निर्णय में चर्चा का केंद्र बिंदु संविधान के अनुच्छेद 73 के प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 73(1) इस प्रकार है:

**अनुच्छेद 73. संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार:**

(1) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार –

(ए) जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है उन तक, और

(ख) किसी संधि या समझौते के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकारों, प्राधिकार और अधिकारिता के प्रयोग तक, होगा:

परंतु इस संविधान में या संसद द्वारा बनाए गए किसी भी विधि में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय उपखंड (क) में निदृष्ट कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य में ऐसे विषयों तक नहीं होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधान मंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है ।

26. एक विस्तृत चर्चा के बाद, जिसमें अनुच्छेद 60 के मसौदे पर संविधान सभा की बहस का संदर्भ भी शामिल है, जो अनुच्छेद 73 के समान है, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां राज्य विधानमंडल को भी उसी विषय पर विधि बनाने का अधिकार दिया गया था, वहां यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति राज्य सरकार तक विस्तारित होगी या नहीं, इसका निर्णय इस तथ्य को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए कि क्या कार्यकारी शक्ति केंद्र को संविधान द्वारा या संसद द्वारा बनाए गए विधि के तहत स्पष्ट रूप से प्रदान की गई है। इसलिए, यह आकलन करने के लिए कि क्या संघ की कार्यकारी शक्ति संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III में किसी विषय–वस्तु तक विस्तारित है, यह जांच की जानी चाहिए कि क्या संविधान या बनायी गयी विधि के तहत संघ को कार्यकारी शक्ति स्पष्ट रूप से प्रदान की गई थी संसद द्वारा, ऐसा न होने पर राज्य की कार्यकारी शक्ति बरकरार रही। हमारे मस्तिष्क में, उक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि जहां तक आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराधों का संबंध है, संविधान के तहत या संसद द्वारा संघ को स्पष्ट रूप से कार्यकारी शक्ति प्रदान करने वाले विधि के तहत किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, कार्यपालिका राज्य की शक्ति का विस्तार होगा, भले ही धारा 302 की विषय–वस्तु को सूची II में प्रविष्टि या सातवीं अनुसूची की सूची III में प्रविष्टि द्वारा कवर किया गया माना जाए।

27. श्री शंकरनारायणन ने उन मामलों की एक सूची प्रस्तुत की है जिनमें इस न्यायालय ने धारा 302 के तहत या अन्य अपराधों के साथ दोषी ठहराए गए कैदी को कारावास की लंबी अवधि, कारावास के दौरान प्राप्त शैक्षणिक योग्यताएं, जेल में आचरण और साथ ही कैदियों को मुकदमेबाजी के दूसरे दौर में भेजने की निरर्थकता को ध्यान में रखते हुए रिहा करने का निर्देश दिया है।

28. गिरफ्तारी के समय अपीलार्थी 19 वर्ष की आयु का था तथा 32 वर्ष तक अभिरक्षा में निरूद्ध रहा, जिसमे से 16 वर्ष मृत्युदंड उपरांत तथा 29 वर्ष एकांत परिरोध अंतर्गत व्यतीत हुए । जेल मे उसके आचरण संबंधी कोई शिकायत नहीं रही । अपीलार्थी को दो मौको पर पैरोल पर छोड़ा गया तब भी उसके आचरण के विरूद्ध या रिहाई की शर्तो के उल्लंघन संबंधी कोई शिकायत नहीं रही । अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये चिकित्सा अभिलेख उसे लंबे समय से बीमारियों से पीडित होना दर्शाते है । जेल में अच्छे आचरण सहित अपीलार्थी ने स्वयं को शिक्षित भी किया है तथा सफलता पूर्वक अपने + 2 परीक्षा, एक पूर्व स्नातक डिग्री, एक स्नातकोत्तर डिग्री, एक डिप्लोमा तथा 8 प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक संपन्न किया है । उसके द्वारा अनुच्छेद 161 के तहत दंडादेश के परिहार बाबत् प्रस्तुत याचिका राज्य के मंत्रीमंडल की अनुसंशा के उपरांत ढाई वर्षो तक लंबित रहने तथा राज्यपाल द्वारा अग्रेषित किये जाने उपरांत एक वर्ष से अधिक समय तक लंबित रहने की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में हम प्रकरण को राज्यपाल के विचारार्थ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित नहीं पाते है । अन्य किसी प्रकार की निर्योग्यता तथा प्रकरण के आपवादिक तथ्य व परिस्थितियों में, संविधान के अनुच्छेद 142 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हम निर्देशित करते है कि अपराध क्र 329/1991 में अपीलार्थी दंडादेश भुगता हुआ माना जावे । अपीलार्थी, जो जमानत पर है, उसे तत्काल स्वतंत्र किया जाता है ।

29. अंततः, हमारे द्वारा प्राप्त निष्कर्ष निम्नवत है–

(ए) इस न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णयन की श्रृखला में यह विधि भली भांति स्थापित है कि अनुच्छेद 161 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के मामले में राज्य मंत्रिमंडल का परामर्श राज्यपाल पर बंधनकारी होगी ।

(बी) अनुच्छेद 161 के अंतर्गत शक्तियों के अप्रयोग की स्थिति अथवा बंदी के कारण से भिन्न कारणो से उक्त शक्ति प्रयोग में अपरिहार्य विलंब के प्रकरण इस

न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन होंगे, विशेषतः उन मामलो में जब राज्य मंत्रिमंडल द्वारा बंदी को छोड़े जाने का निर्णय लिया जाकर तत्संबंधी अनुसंशा राज्यपाल को की जा चुकी हो ।

(सी) तमिलनाडू मंत्रिमंडल द्वारा की गई सिफारिश को राज्यपाल द्वारा ढाई वर्षो बाद भारत के राष्ट्रपति को संदर्भित किया जाना संविधान सम्मत नहीं है जिसमें *"राज्यपाल वस्तुतः राज्य सरकार की लघुकृत अभिव्यक्ति है"* जैसा इस न्यायालय द्वारा पाया गया[9] ।

(डी) इस न्यायालय का म०प्र० विशेष *पुलिस स्थापना* (पूर्वोक्त) में न्यायनिर्णयन इस प्रकरण के तथ्यो पर लागू नहीं होता है न ही राज्य केबिनेट द्वारा स्पष्ट पक्षपात या अप्रासंगिक आधारो पर निर्णय लिया जाना इंगित किये जाने का प्रयास किया गया है, जो कि उक्त न्यायनिर्णयन की धुरी है ।

(इ) धारा 302 भा.द.सं. अंतर्गत दिये गये दंडादेश के संघ सरकार द्वारा परिहार/लघुकरण की शक्तियो संबंधी इस न्यायालय के *श्रीहरन*(पूर्वोक्त) न्यायनिर्णयन अंतर्गत लिया गया निष्कर्ष गलत है, क्योकि केन्द्र को संविधान के द्वारा या संसद द्वारा बनाये गये किसी विधि के द्वारा धारा 302 के संबंध में अभिव्यक्त कार्यपालिक शक्तिया प्रदत्त नहीं है । उक्त स्थिति से धारा 302 सूची 03 की प्रविष्टी 01 अंतर्गत विषय मानकर तत्संबध में राज्य की कार्यपालिक शक्तिया प्रभावी होंगी ।

(एफ) अपीलार्थी की लंबी अभिरक्षा अवधि, उसके द्वारा जेल में तथा पैरोल अवधि में किये गये अच्छे आचरण, चिकित्सा अभिलेख में उसकी लंबी बीमारी, अभिरक्षा द्वौरान उसके द्वारा अर्जित शैक्षणिक योग्यताऐं तथा राज्य मंत्रिमंडल द्वारा सिफारिश किये जाने उपरांत उसकी अनुच्छेद 161 अंतर्गत प्रस्तुत याचिका ढाई वर्षो तक लंबित रहने के परिप्रेक्ष्य में, हम प्रकरण को राज्यपाल के विचारार्थ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित नहीं पाते है । संविधान के अनुच्छेद 142 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हम निर्देशित करते है कि अपराध क्र 329/1991 में अपीलार्थी दंडादेश भुगता हुआ माना जावे । अपीलार्थी, जो जमानत पर है, उसे तत्काल स्वतंत्र किया जाता है । उसके जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है ।

30. उक्तानुसार अपीले निराकृत ।

1. (2016) 7 एससीसी 1

2. (2004) 8 एससीसी 788

3. [राय साहिब राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य, (1955) 2 एससीआर 225 ]

4.[समशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य,(1974) 2 एससीसी 831 ]

5.[नबाम रेबिया और बमांग फेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधान सभा, (2016) 8 एससीसी 1 ]

6.(1981) 1 एससीसी 161

7. (1974) 2 एससीसी 831

8. (2006)8 एससीसी 161

9. मारूराम बनाम भारत संघ (पूर्वोक्त)

अपीले निराकृत

**Translated , Validated & Corrected by**
**KU. UDAI LAXMI PARMAR**
ADDITIONAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE,
F.T.S.C. (POCSO)
KAWARDHA